



# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक.....01...../रा0,

बोकारो, दिनांक.....01/01/2025


सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,  
पोस्ट-हिनु, राँची।

विषय :- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 22.11.2023 के मद संख्या 25 में लिये गये निर्णय के आलोक में नव सृजित चीरा चास थाना के निर्माण हेतु बोकारो जिला के चास अंचल अंतर्गत मौजा फुदनीडीह, थाना सं0-27, खाता सं0-74, प्लॉट सं0-640, कुल रकबा- 0.75 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म पुरातन पतित भूमि को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृति।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रायोजन हेतु उसका उपयोग छः माह के अन्दर नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. अन्य सभी शर्त "इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

  
उपायुक्त,  
बोकारो।

ज्ञापांक .....01...../रा0, दिनांक .....01/01/2025

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, चास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर चास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, चास के कार्यालय पत्रांक 992/भू0सु0, दिनांक 17.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं0-01/2025-26 को मूल में वापस किया जा रहा है।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
उपायुक्त,  
बोकारो।